भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5527
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

दमन गंगा नदी का पुनरुद्धार

5527. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वापी-दमन क्षेत्र में दमन गंगा नदी के पुनरुद्धार के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का पूर्णतः अनुपालन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मानकों का उल्लंघन करते हुए उद्योगों का संचालन "प्रदूषक भुगतान करेगा (पॉल्यूटर पेज़)" और "निवारक उपाय" के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संचालन के क्या कारण हैं;

(ग) अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भेषज/रासायनिक इकाइयों के लिए जेडएलडी (शून्य द्रव्य प्रवाह) संबंधी मानदंडों के अनिवार्य अनुपालन और स्वतंत्र तृतीय-पक्ष संपरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) एनजीटी के वर्ष 2019 के पुनरुद्धार संबंधी आदेश के तहत लागत, समय-सीमा और उत्तरदायी अभिकरणों का ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में स्थगन आदेश, यदि कोई है, क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का क्लस्टर उद्योगों के अनिवार्य योगदान के माध्यम से "पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापना कोष" स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद स्थिति में सुधार न होना एक प्रशासनिक विफलता है और यदि हां, तो इस संबंध में जवाबदेही तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दमनगंगा नदी की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक तकनीकी सुधारात्मक कार्रवाई क्रियान्वित की जा रही है। हालांकि, मेसर्स वापी ग्रीन एनवायरनमेंट लिमिटेड और अन्य बनाम आर्यावर्त फाउंडेशन के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिनांक 28.08.2019 के आदेश पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।

इसके अतिरिक्त, "प्रदूषणकारी द्वारा भुगतान" और "एहतियाती उपायों" के सिद्धांतों के विरुद्ध काम करने वाले उद्योगों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है:

- गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, जिसमें बंद करने के निर्देश और दोषी उद्योगों पर पर्यावरण क्षति मुआवजा (ईडीसी) लगाना शामिल है, ताकि "प्रदूषणकारी द्वारा भुगतान" सिद्धांत के अंतर्गत उत्तरदायित्व सुनिश्चित की जा सके।
- इसके अतिरिक्त, अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए, जीपीसीबी नियमित रूप से ओपन हाउस और पर्यावरण क्लीनिक का आयोजन करता है ताकि उद्योगों को एहतियाती उपायों और सतत कार्यकलापों को अपनाने में मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
- मौसमी कार्य योजनाएँ एहतियाती उपायों के रूप में:
 - शीतकालीन कार्य योजना: उद्योगों को निर्देश दिया जाता है कि वे सर्दियों के महीनों में उत्सर्जन नियंत्रण के सख्त उपाय अपनाएं, क्योंकि इस दौरान वायुमंडलीय फैलाव कम होता है, जिससे प्रदूषण की सांद्रता बढ़ जाती है। उपायों में बेहतर निगरानी, धूल नियंत्रण, उच्च उत्सर्जन वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का रखरखाव सुनिश्चित करना शामिल है।
 - मानसून कार्य योजना: भारी बारिश के दौरान जल निकायों के प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगों को उचित अपशिष्ट प्रबंधन और दूषित जल उपचार सुनिश्चित करना आवश्यक है। जीपीसीबी ने उद्योगों को पत्र जारी कर वर्षा जल प्रबंधन, रसायनों के सुरक्षित भंडारण और आपातकालीन तैयारियों जैसे निवारक उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि उसने सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) को अनिवार्य नहीं बनाया है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में, व्यापारिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित और संचालित करना अनिवार्य है। साथ ही, ऐसे उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा स्थापना/संचालन की सहमति में निर्धारित शर्तों के अनुसार, उपचारित अपशिष्ट को अपने परिसर में पुन: उपयोग करके जेडएलडी प्राप्त करना अनिवार्य है।

जल शक्ति मंत्रालय ने आगे सूचित किया है कि नदियों के संरक्षण के लिए, मंत्रालय गंगा बेसिन और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर अन्य नदियों के लिए केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत देश की चिन्हित प्रदूषित नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। एनआरसीपी के अंतर्गत विभिन्न नदियों (गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के चिन्हित क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। एनआरसीपी के अंतर्गत विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण कार्य किए जाते हैं, जैसे कच्चे सीवेज का अवरोधन और मोड़, सीवरेज प्रणालियों का विनिर्माण, सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत स्वच्छता, नदी तट/स्नान घाट विकास आदि।
